अध्याय-२

भाग-२

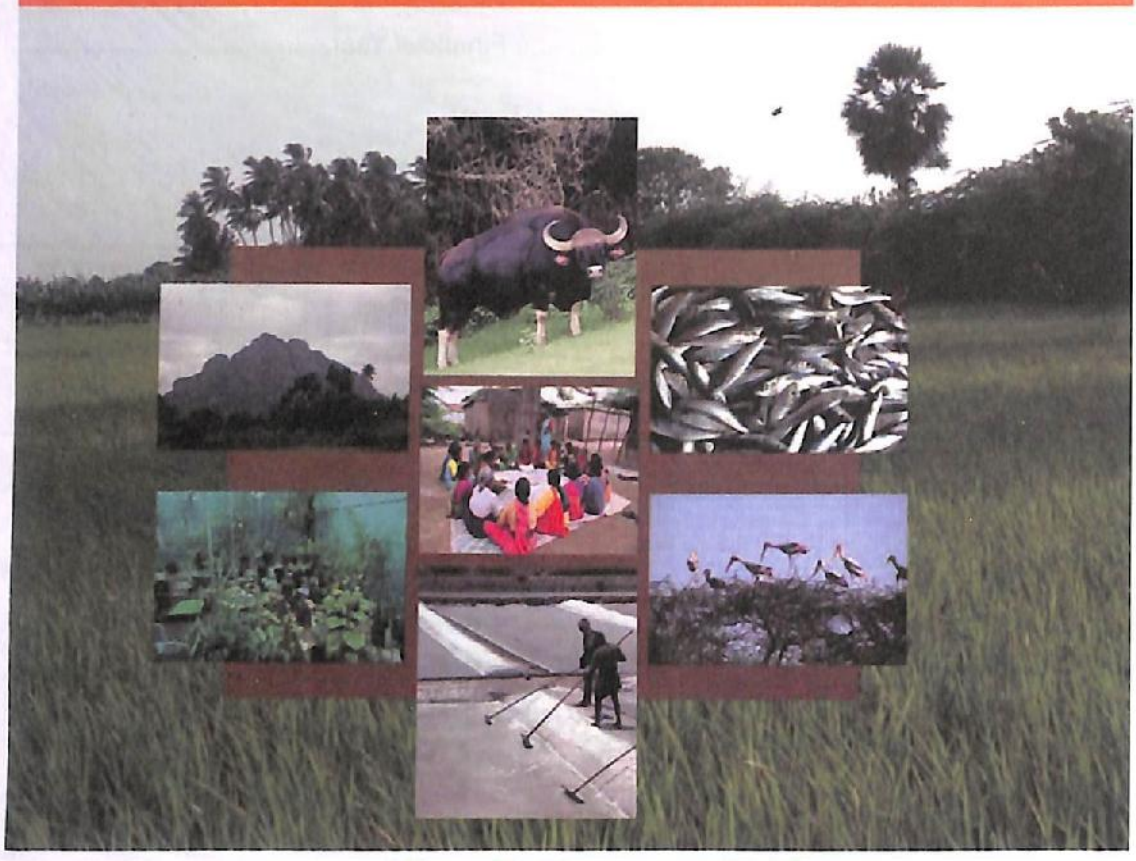

जन-जैव विविधता पंजी

2013

(पुनरीक्षित जन-जैव विविधता पंजी मार्गनिर्देश)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, भारत

भाग– 1

1.0 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 एवं नियम, 2004

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (क्र. 18, 2003) को भारत सरकार द्वारा 5 फरवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम पूरे भारत वर्ष में लागू है और राष्ट्र की इसके जैविक संसाधनों के प्रति सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता दर्शाता है। आगे जाकर भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता नियम, 2004 (15 अप्रैल, 2004) प्रकाशित किए गए। इसकी धारा 22 के अन्तर्गत नियमानुसार 'प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा।'

2.0 जन–जैव विविधता पंजी और जैव विविधता प्रबंधन समिति की भूमिका

जैव विविधता नियम, 2002 में जैव विविधता प्रबंधन समिति हेतु निर्देश निम्नानुसार स्पष्ट किए गए हैं–

- जैव विविधता प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जन–जैव विविधता पंजी तैयार करना है। इस पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान के साथ–साथ उनके चिकित्सीय और अन्य उपयोगों पर विस्तृत जानकारी का समावेश होगा।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति के अन्य कार्यों में इसे राज्य जैव विविधता प्रबंधन निगम अथवा प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य मामले पर सलाह देना, स्थानीय वैद्यों और जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले (प्रेक्टिशनरों) की जानकारी संधारित करना सम्मिलित हो।
- प्राधिकरण जन–जैव विविधता पंजियों को तैयार करने में प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव–विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- जन–जैव विविधता पंजियों का संधारण और पुष्टि जैव–विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा।

3.0 जन जैव विविधता समितियाँ और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की भूमिका

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जन–जैव विविधता पंजी तैयार करने हेतु मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।

लोक जैव विविधता पंजियों को तैयार करने एवं उसके रख–रखाव तथा सुचारु क्रियाकलापों एवं नेटवर्किंग में सहायता प्रदान करने हेतु राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जिला के तकनीकी सहायता समूहों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा।

जन–जैव विविधता पंजियां और तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) की भूमिका

तकनीकी सहायता समूह में विभिन्न विधाओं और मैदानी विभागों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों,

महाविद्यालयों और विद्यालयों तथा गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। यह तकनीकी सहायता समूह पौधों और पशुओं की पहचान करने, जन जैव विविधता पंजियों सम्बन्धी कार्यकलापों की निगरानी एवं मूल्यांकन करने, गुप्त जानकारी के परीक्षण और विधिक संरक्षण सम्बन्धी सलाह देने, जैव विविधता के सम्बन्ध में स्थानीय और बाहरी विशेषज्ञों के डाटाबेस संधारित करने में जैव प्रबंधन समिति को तकनीकी सहयोग और सलाह उपलब्ध कराएगा।

4.0 जन जैव विविधता पंजियाँ

मानव समाज के सदियों पुराने उद्‌विकास का पौधों और पशुओं से गहरा नाता है। कोई बारह हजार वर्ष पूर्व फसली पौधों और पालतू पशुओं को अपनाए जाने के साथ ही मानव सभ्यता में अधिक स्थिर समुदायों के बनने से मानो क्रांति ही हो गई। प्रागैतिहासिक और मध्यकाल में धीरे–धीरे जंगली पेड़ पौधों और जन्तुओं से मानव अंतः क्रिया कम होती चली गई। आधुनिक विज्ञान और तकनीकों के, औद्योगिक और पश्चात औद्योगिक काल के दौरान भी प्रकृति से हमारा नाता समाप्त नहीं हो सका।

लोगों के विभिन्न समूहों की विभिन्न पैमानों पर नैसर्गिक संसाधनों के ऊपर निर्भरता बनी रही। कुछ इन संसाधनों को विश्व के कोनों–कोनों से प्राप्त करते रहे तो कुछ किसी देश या क्षेत्र विशेष के भीतर से लेते रहे। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी आजीविकाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय जैव विविधता और जैव–संसाधनों पर ही निर्भर हों। ऐसी आबादी जो स्थानीय जैव संसाधनों पर सीधे–सीधे निर्भर है, वह अपनी तीक्ष्ण निरीक्षण क्षमता, प्रथाओं और प्रयोगों के बल पर ऐसा ज्ञान भंडार स्थापित कर चुकी है जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। इनमें से कुछ तो खेती–बाड़ी जैसी व्यापक पारंपरिक जानकारियाँ हैं तो कुछ अति विशेषज्ञतापूर्ण कौशल हैं– जैसे– हड्डी बिठाना या पीलिया का इलाज कर लेना जो परिवार के निकट संबंधियों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती रही हैं।

भारत जैविक और सांस्कृतिक विविधताओं की भूमि है। यह विश्व के विशालतम जैव विविधतापूर्ण देशों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में जनजातीय समूह निवास करते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रकृति आधारित आजीविकाओं से अपना निर्वाह करते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कृषक और मछुआरे समुदाय तथा घुमन्तु समूह हैं, जिनके पास अलग–अलग तरह की पारंपरिक जानकारियों का भंडार है। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी खास तौर पर जैव तकनीक और सूचना तकनीकों के विकास ने जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान सहित इससे संबंधित जानकारियों के मूल्य में वृद्धि की है। जैव विविधता, जैव संसाधनों और इससे जुड़ी जानकारियों का महत्व बहुत कुछ स्वीकारा जाने लगा है। संरक्षण के पहले चरण में जैव विविधता के टिकाऊ उपयोग और इसके दस्तावेजीकरण को शामिल किया जा सकता है। जैव–विविधता और उससे संबंधित ज्ञान विभिन्न पर्यावरण–प्रणालियों में, विभिन्न विधिक प्रबंधन अनुशासनों (रेजियों) के अन्तर्गत देखने को मिलता है और इसीलिए इनके परिणाम और दस्तावेजीकरण की रीतियाँ भी अलग–अलग होंगे।

मौजूदा मार्गनिर्देशिका के निर्देशों की रचना विभिन्न पर्यावरण प्रणालियों को विचार में लेते हुए की गई है और दस्तावेजीकरण की रीति भी बदल जाएगी। इन मार्गनिर्देशों को आवश्यकतानुसार अपनाया जा सकता है और इस प्रयास को अधिक मूल्यवान बनाने की दृष्टि से अग्रेतर जानकारी का समावेश किया जा सकता है। जन जैव विविधता पंजियों से संबंधित मुद्दों को लेकर कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है:–

- इसे सहभागी तरीके से ग्राम–समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर किया जाना है।
- दस्तावेजीकरण करते समय स्त्री–पुरुष दोनों की जानकारी और विचारों को लेखबद्ध किया जाना है।
- लोगों द्वारा दी गई जानकारी को तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों द्वारा दस्तावेजीकरण से पहले संकलित, विश्लेषित करेगा और परस्पर जांचने (पुष्टि) करना आवश्यक है।
- विधिक जगत में जन जैव विविधता पंजी का पूरा ज्ञान के साक्ष्य के बतौर महत्वपूर्ण आधार–दस्तावेज माना जाता है और इसलिये इसका सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना आवश्यक है।
- इस दस्तावेज की जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए और बाद में इसे ग्रामसभा/ग्राम पंचायत में प्रचारित करना चाहिए। यह दस्तावेज, जैव संसाधनों के प्रबंधन और उनके टिकाऊ उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शालाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर इस दस्तावेज को उपयोगी शिक्षण साधन के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है।
- जब कभी तैयार हो तब इसमें अतिरिक्त और नवीन जानकारी जोड़कर अद्यतन करना चाहिए।

4.1 जन जैव विविधता पंजी प्रक्रिया

जन जैव विविधता पंजी तैयार करने में बड़ी संख्या में लोगों की सक्रिय सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें वे अपनी साझा के साथ–साथ विशेषज्ञतापूर्ण जानकारी को बाँटें। किसी जन जैव विविधता पंजी को तैयार करने हेतु प्रारंभिक चरण में से एक है– इस कार्य को सम्पन्न करने के ध्येयों और उद्देश्यों को समझाने के लिए समूह की बैठक आयोजित करना। इन समूहों से जानकारी (डाटा) एकत्र करने के उद्देश्य को देखते हुए पहले गांव में विभिन्न सामाजिक समूहों को चिन्हांकित करना जरूरी होगा। शहरों में उन स्थानों की पड़ताल जरूरी है जहाँ अध्ययन और दस्तावेजीकरण के लिहाज से जैव–विविधता महत्वपूर्ण है। दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है– विस्तृत प्रश्नावलियों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों से और जानकार लोगों की केन्द्रित समूह चर्चा से तथा प्रकाशित द्वैतीयक जानकारी के माध्यम से जानकारी को एकत्र करना।

4.2 जैव विविधता से सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण

जैव विविधता और इसके उपयोगों के सम्बन्ध में लोगों के ज्ञान का दस्तावेजीकरण जन–जैव विविधता पंजीकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्थानीय जैव विविधता का प्रामाणिक ज्ञान रखने वाले लोगों को चिन्हित करने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए, उसमें भी ऐसे बुजुर्ग लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो जैव विविधता सम्बन्धी ऐसी बातों की जानकारी दे सकें जो पहले उपलब्ध थीं लेकिन वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ मामलों में दस्तावेजीकरण के उद्देश्य से केन्द्रित समूह चर्चायें भी रखी जा सकती हैं।

4.3 जन–जैव विविधता सम्बन्धी पद्धति

जन जैव विविधता पंजी एक ऐसी सहभागी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के व्यापक और गहन परामर्श की आवश्यकता होती है। समूह की बैठक लेकर पंचायत, जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों, छात्रों, जानकार लोगों और इस प्रयास में रुचि रखने वाले सभी लोगों के समस्त वर्गों की मौजूदगी में इसके ध्येय और उद्देश्यों का खुलासा किया जाना चाहिए। दस्तावेजीकरण में चित्रों (डिजिटल इमेजों सहित), रेखाचित्रों, ध्वनि और वीडियो रिकार्डिंग तथा मुद्रित सामग्री जैसे अन्य अभिलेखों को सम्मिलित किया जाता है।

4.4 जन–जैव विविधता पंजी तैयार करने की प्रक्रिया

चरण– 1: जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन

चरण– 2 : अध्ययन, सर्वेक्षण और संभावित प्रबंधन के सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता।

चरण– 3 : जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के सम्बन्ध में जानकारी के चिन्हांकन और संग्रहण हेतु सदस्यों का प्रशिक्षण

चरण– 4 : सामग्री का संकलन। सामग्री संकलन में सम्मिलित है जिलों के नैसर्गिक संसाधनों सम्बन्धी साहित्य की समीक्षा, ग्राम स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, घर में लिए जाने वाले साक्षात्कार, ग्रामीण नेताओं और जानकार लोगों, घर मुखिया, ग्राम पंचायत संस्थाओं के प्रमुख कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठनों के साथ साक्षात्कार और प्रत्यक्ष मैदानी निरीक्षण।

चरण– 5 : तकनीकी सहायता समूह और जैव विविधता प्रबंधन समिति के परामर्श से सामग्री का विश्लेषण और पुष्टि करना।

चरण– 6 : जन–जैव विविधता पंजी तैयार करना।

चरण– 7 : जानकारी और स्रोतों का कम्प्यूटरीकरण।

जन जैव विविधता पंजी : सामान्य विवरण

पंचायत समिति का नाम :

तहसील :

जिला :

राज्य :